उक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि आवेदिका पक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदिका के पक्ष में नहीं है, इस कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदिका के पक्ष में नहीं है तथा अपूर्णीय क्षति भी आवेदिका को कारित नहीं होगी। उक्त विवेचन से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। वकील अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होते हैं।

आदेश

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 खारिज किया जाता है।

8/9/21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:42:18 IST
Reason: SelfAttested

8/9/21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner